

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमू

GMS 2024/171

बाबूलाल बनाम सीताराम वगै०

प्रार्थना पत्र अन्तरिम वापस 212 आर.टी.एक्ट

कदमा नम्बर :- 65/2024

विशेष विवरण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10.07.2024	<p>प्रार्थी अधिवक्ता ने टी0आई0 प्रार्थना पत्र पेश किया। रिकॉर्ड हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है अतः प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 14.08.2024 को पेश हो।</p>	

14/8/24 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय के लक्ष्य लक्ष्य होने तक प्रार्थी के पार-पार आवास डिलाभी गयी। वकील प्रार्थी अक्षयवर्तन व वकील वकील वकील वकील अतः पत्रावली आउन बापरी आउन पेशी में खारिज की जाती है पत्रावली दर्ज-रजिस्टर से कर वकील वकील वकील वकील

सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर)